फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्रीमती शबीना बानू पत्नी श्री आसीफ मोहम्मद नि. छीपा का मोहल्ला, चित्तौडगढ़

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ जिला राजसमंद – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 81/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.12.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/926–928 दिनांक 10.11.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार, देवगढ से होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आरटीआई आवेदन पत्रांकः 926–928 दिनांक 10.11.2022 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में तहसीलदार देवगढ को समयावधि में अन्तरण की जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया है। तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये पत्रांकः सू.अ.अ. /2022/184–86/2022/ 184–86 दिनांक 25.04.2022 से अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11(ii) के अंतर्गत आती है। अर्थात सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है। तृतीय पक्षकार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(ii) के अंतर्गत सूचना प्रकटन के संबंध में अभ्यावेदन हेतु अवसर प्रदान कर लिखा जाने पर तृतीय पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके वेतन संबंधित जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही गई है जो मेरी व्यक्तिगत सूचना होने से प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करायी जावे। अपीलार्थीया द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 205 की धारा 11(ii) के तहत नहीं दी जा सकती है, जिससे उक्त सूचना प्रेषित की जानी संभव नहीं है। जिसकी सूचना प्रार्थी को पूर्व में पत्रांकः सूचना/2022/98 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त आधार पर अपील को इसी स्तर पर ड्राप करने हेतु अनुरोध किया है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11(ii) के अंतर्गत तृतीय पक्षकार से संबंधित होने एवं वेतन संबंधित जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही गई जो मेरी व्यक्तिगत सूचना होने से प्रार्थीया को उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। अपीलार्थीया द्वारा मार्च 2020 से आज दिनांक तक की वेतन संबंधी जानकारी चाही गई है जो धारा 11(ii) के अंतर्गत तृतीय पक्षकार को देय नहीं होने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद एवं तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)